न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)
प्रकरण संख्या – 80/2013
अनवान : –

1. बादोदेवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

दावा बाबत अन्तर्गत धारा 88–89 ,राजस्थान काश्त0 अधि0 1955

उपस्थिति :– श्री विजयसिंह कड़वासरा अधिवक्ता **वादी**
पेरोकार राज

निर्णय दिनांकः 18/03/2026

संक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का पेश किया है कि मूलाराम व हरीराम पिसरान बख्ताराम दोनो सगे भाई थे, तथा मूलाराम सम्वत 2015 में कंवारा ही फौत हो गया था तथा उतराधिकार अधिनियम की धारा 8 की द्वितीय श्रेणी के मुताबिक उसका सबसे नजदीकी वारिस उसका भाई हरीराम तथा उसकी पत्नी भी फौत हो चुके हैं तथा उसकी सबसे नजदीकी वारिस उसकी पुत्री वादिया है।

रोही मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर पहले ठिकाना भुकरका का जागीर का गांव था तथा मौजा ढण्ढेला के काश्तकार ठिकाना भुकरका से काश्त के लिये रकम के बदले भूमि हासिल करते थे, तथा मूलाराम व हरीराम पिसरान बख्ताराम ने सम्वत 2000 में साबिका खसरा नंबर 198 में तादादी 26.00 बिघा भूमि वाके रौही मौजा दण्डेला तहसील नोहर में रकम के बदले सदा के लिये वास्ते काश्त जागीरदार भुकरका से हासिल की थी जो वे अपनी हयात में काश्त करते रहे तथा मौजा ढण्ढेंला में उपनिवेशन विभाग राजस्थान नहर योजना की सर्वे सम्वत 2016 में हुई तथा विवादित भुमि साबिका खसरा नंबर 198/26.00 बिघा की गिरदावरी 26.00 बीघा की बजाय 24.16 बिघा की होती रही तथा जब सम्वत 2016 में उपनिवेशन विभाग द्वारा पैमायश करवायी गयी तब वास्तविकता का पता चला कि साबिका खसरा नंबर 198 जिसका हाल खसरा नंबर 240 है वह 28.00 बिघा का खेत है। राजस्थान नहर परियोजना क्षेत्र में उपनिवेशन अधिनियम सन 1954 दिनांक 14.5.1959 को लागु हुआ तथा इस क्षेत्र के काश्तकारों को दफा 15 (ए) राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 के तहत खातेदारी अधिकार नहीं दिये गये तथा सन 1983 में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन 1955 में संशोधन किया गया और एक नयी दफा 15 एएए. इजाद की गयी जो दिनांक 14.9.1983 से लागू हुई तथा उपनिवेशन क्षेत्र में सिलिंग सीमा तक खातेदारी अधिकार दिये गये तथा उस बाद राजस्थान काश्तकारी अधिनियम सन

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
नोहर

1955 में द्वितीय संशोधन सन 1992 में हुआ तथा संशोधन के आधार पर एक नया दफा 15 ए.ए. ए. (2क) इजाद की गई तथा उस संशोधन के दिनांक 11.11.92 में लागू किया गया तथा यह प्रावधान किया गया कि भू–धारी अर्थात तहसीलदार स्वयं अपने स्तर पर भू–अभिलेख के आधार पर जमाबंदी में संशोधन कर सिलिंग सीमा तक मुफत खातेदारी दर्ज करेगा तथा वादिया के पास सिलिंग सीमा से कम भूमि थी तथा वादिया समसत भूमि की खातेदार काश्तकार हो चुकी थी।

आराजी जरई खसरा नंबर 240 तादादी 26.00 बीघा वाके रौही मौजा बण्डेला तहसील नोहर में से खसरा नंबर 457/240 मि. तादादी 6.272 हैक्टर भूमि तो वादिया के नाम सही खातेदारी दर्ज कर दी मगर हाल खसरा नंबर 498/240म मिन तादादी 0.304 हैक्टर भूमि मृतक हरीराम पुत्र बख्ताराम के नाम बतौर आराजी काश्तकार दर्ज हैं जिससे वादिया के खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादिया जमाबंदी दुरूस्त करा विवादित भूमि से मृतक हरीराम का नाम कलमजन करा उपरोक्त भूमि बजाय आराजी काश्तकार के अपने नाम बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करने की मजाज है तथा यही बिनाम दावा है।

मौजा ढण्ढेला बारानी तहसील नोहर में दुबारा उपनिवेशन अधिनियम सन 1954 जो नोहर फीडर आ जाने के कारण दिनांक 15.02.2000 को लागू किया है जिसका प्रभाव पश्चातवर्ती है तथा वादिया विवादित भूमि की दिनांक 14.09.1983 व दिनांक 11.11.1992 को ही खातेदार काश्तकार हो चुकी थी। मगर तहसीलदार नोहर ने दिनांक 17.02.2006 को मौजा ढण्ढेला तहसील नोहर में राजस्व अभियान के वक्त यह घोषणा करवाई है कि जो काश्तकार जमाबंदी में आराजी काश्तकार है, वो दिनांक 31.3.2013 तक खातेदारी दर्ज करवाले अन्यथा उन काश्तकारों के खिलाफ राज्य सरकार भाखरा प्रोजेक्ट (आंवटन व विक्रय) नियम सन 1955 के ताबे आंवटन की कार्यवाही करेगी, जिसमें उन्हे 32000 रूपये प्रति बिघा नहरी व 4000/– रूपये प्रति बीघा अनकमाण्ड भूमि की कीमत देनी होगी तथा उक्त घोषणा से वादिया को उसके खातेदारी हकूक का हनन होता है तथा वादिया ने प्रतिवादी स्टेट को जरिये तहसीलदार (राजस्व) तहसील नोहर अर्ज कि कि वह विवादित भूमि की खातेदार काश्तकार है तथा उसे जमाबंदी दुरूस्त कर बजाय आराजी काश्तकार के बतौर खातेदार काश्तकार दर्ज करे तो कुछ दिन तक आजकल आजकल करते रहे किन्तु अन्त में इन्कार हो गये इसलिए यह वाद पेश किया गया है।

वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। सम्मन तामील होने के बाद प्रतिवादी सं0 1 ने जवाब इस आशय का पेश किया की वादी का वाद भूमि पर कोई अधिकार नही है वाद भूमि सही तौर से दर्ज है। वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत किसी प्रकार का अनुतोष पाने का अधिकारी नही है। वादी उपनिवेशन अधिनियम के तहत ही किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त कर सकता है। वादी ने वाद के समर्थन में बतौर दस्तावेजी सा[illegible] जमाबंदी पेश की जो की शामिल मिसल की गई।

Signature Not Verified
Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

बहस वकील उभयपक्षकार[illegible] द्वारा अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली में प्रस्तुत दस्तावेजों का अवलोकन किया गया। वाद में प्रस्तुत रिकार्ड के

Rahul
उपखण्ड अधिकारी
नोहर

अनुसार रोही मौजा ढंढेला बारानी के खाता स0 320/290 की कुल 0.304 हैक्ट भूमि वादीया के नाम दर्ज है वादीया द्वारा आरजी काश्तकार से खातेदार दर्ज करवाने हेतु यह वाद पेश किया गया है जबकि तहसीलदार द्वारा जवाब पेश किया गया है कि उक्त भूमि आरजी काश्तकार दर्ज है। वादीया न्यायालय से अनुतोष पाने की अधिकारी नही है एवं वादीया द्वारा उक्त खसरो बाबत साबिका ख0न0 व हाल ख0न0 का साक्ष्य सबूतों पेश नही किया गया है। वादीया के कब्जा काश्त की भूमि की पूर्व में खातेदारी दी जा चुकी है। अत वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज योग्य है।

अतः वाद वादी साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है। खर्चा उभयपक्षकारान अपना अपना वहन करे। इसी आशय की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हों।

निर्णय आज दिनांक 18/03/2026 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Rahul.

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested

पर्चा डिक्री

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी, नोहर जिला हनुमानगढ

पीठासीन अधिकारी का नाम : राहुल श्रीवास्तव (आई0ए0एस0)

प्रकरण संख्या – 80/2013

अनवान : –

1. बादोदेवी पुत्री हरीराम जाति जाट साकिन ढण्ढेला तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।

– वादी

बनाम्

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर तहसील नोहर।

– प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 80 सन 2013 निर्णय दिनांक 18/03/2026

आज यह वाद मुझ राहुल श्रीवास्तव उपखण्ड अधिकारी एवं सहायक कलक्टर नोहर के समक्ष वकील वादीया श्री विजयसिंह कड़वासरा एवं राज पेरोकार की उपस्थिति में निर्णयार्थ/अंतिम निपटारे हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादीया साक्ष्य सबूतों के अभाव में साबित नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

यह पर्चा डिक्री आज दिनांक ....18/03/2026.... को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से जारी की गई।

Rahul

(राहुल श्रीवास्तव I.A.S)
उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
एवं सहायक कलक्टर
नोहर

Signature Not Verified

Digitally signed by Rahul Srivastava
Date: 2026.04.02 11:07:33 IST
Reason: SelfAttested